



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय जल नीति

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
नई दिल्ली
सितम्बर, 1987



भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय

राष्ट्रीय जल नीति

नई दिल्ली
सितम्बर, 1987

विषय

पृष्ठ सं०

1.	राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता	-	1
2.	सूचना प्रणाली	-	4
3.	अधिकतम उपलब्धता	-	5
4.	परियोजना आयोजना	-	6
5.	अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण	-	8
6.	संरचनाओं की सुरक्षा	-	8
7.	भू-जल विकास	-	9
8.	जल आवंटन की प्राथमिकताएं	-	9
9.	पेय जल	-	9
10.	सिंचाई	-	10
11.	जल दरें	-	11
12.	किसानों और स्वैच्छिक अभिकरणों की सहभागिता	-	11
13.	जल गुणवत्ता	-	11
14.	जल मण्डलन	-	11
15.	जल संरक्षण	-	12
16.	बाढ़ नियंत्रण और प्रबन्धन	-	12
17.	समुद्र अथवा नदी द्वारा भूमि कटाव	-	12
18.	सूखा प्रबन्धन	-	13
19.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	-	13
20.	प्रशिक्षण	-	14
21.	निष्कर्ष	-	14

राष्ट्रीय जल नीति

राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता

1.1 जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मनुष्य की एक मूल-भूत आवश्यकता और मूल्यवान राष्ट्रीय परिसम्पत्ति है। जल संसाधनों की आयोजना तथा उनका विकास राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संचालित किये जाने की आवश्यकता है।

1.2 अनुमान लगाया गया है कि देश में होने वाले कुल लगभग 40 करोड़ हेक्टे० मीटर वर्षापात में से ततही जल की उपलब्धता लगभग 17.8 करोड़ हेक्टे० मीटर है। स्थलाकृतिक और अन्य अवरोधों के कारण इसमें से लगभग 50 प्रतिशत जल का ही लाभकारी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 4.2 करोड़ हेक्टे० मीटर की भू-जल क्षमता उपलब्ध है। स्थान और समय दोनों के दृष्टिकोण से जल की उपलब्धता अत्यंत असमान है। वर्षा जल के केवल 3 या 4 महीनों में ही होती है और इसमें इतनी भिन्नता है कि जहां राजस्थान के पश्चिमी भागों में केवल 10 सें०मी० ही होती है वहां दूसरी ओर मेघालय में चेरापूंजी में 1000 सें०मी० से भी अधिक वर्षा होती है और जल प्रवाह राज्यों की भौगोलिक सीमाओं से प्रतिबन्धित नहीं होता है। केवल नदियां ही नहीं बल्कि भू-जल-भण्डार भी प्रायः राज्यों की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जल एक अनन्य और अविभाज्य संसाधन है : वर्षा-जल, नदी-जल, ततही तालाब और झीलें तथा भू-जल सभी एक प्रणाली के ही अंग हैं ; जल वृहत पारिस्थितिक प्रणाली का भी एक अंग है।

1.3 बाढ़ और सूखा देश के व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और यह दोनों राज्यों की सीमाओं तक ही सीमित

जो कि पहले ही एक दुर्लभ संसाधन है, भविष्य में और भी दुर्लभ हो जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में जल उपयोग में सर्वाधिक दक्षता के लिए और इसके संरक्षण के महत्व के प्रति जनता में जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

1.7 जल की गुणवत्ता एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। एक सुदृढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर नई तकनीकों को बेहतर बनाने और वर्तमान कार्यनीतियों में सुधार और भी आवश्यक हो जायेगा ताकि भू-जल और सतही जल संसाधनों में प्रदूषण को समाप्त किया जा सके, जल गुणता में सुधार लाया जा सके और जल के पुनर्चक्र और पुनर्प्रयोग में और वृद्धि की जा सके। जल संसाधनों के विकास में सामान्य तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वयं प्रशिक्षण का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

1.8 विकास-आयोजन की प्रक्रिया में जल एक सर्वाधिक निर्णायक तत्व है। जबकि देश 21वीं शताब्दी में पर्याप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण संसाधन के विकास, संरक्षण, उपयोग और प्रबन्धन के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य द्वारा मार्ग-दर्शन मिलना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता पर्याप्त रूप में स्पष्ट हो जाती है : जल बहुमूल्य स्वयं दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन है तथा इसकी आयोजना विकास एवं संरक्षण सम्बन्धित राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए एकीकृत और पर्यावरणिक दृष्टि से सुदृढ़ आधार पर किया जाना चाहिए।

सूचना प्रणाली

2. किसी संसाधन आयोजना के लिए एक सुविकसित सूचना प्रणाली का होना नितान्त आवश्यक है। आंकड़ा बैंकों और आंकड़ा आधारों को लेकर वर्तमान केन्द्रीय और राज्य स्तर के अभिकरणों में समन्वय ला कर तथा उन्हें सुदृढ़ बनाकर

और उनके आंकड़ों की गुणवत्ता और प्रक्रमण क्षमताओं में सुधार लाकर एक मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। विभिन्न अभिकरणों में आंकड़ों का आदान-प्रदान मुक्त रूप से किया जाना चाहिए और किसी प्रकार से आंकड़ा एकत्र करने का कार्य दो स्थानों पर नहीं होना चाहिए। जल उपलब्धता एवं वास्तविक जल उपयोग के संबंध में आंकड़ों के अलावा इस प्रणाली में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की भावी मांग का व्यापक और तर्कसंगत स्तर पर विश्वसनीय प्रक्षेपण भी शामिल होना चाहिए।

अधिकतम उपलब्धता

3.1 देश भर में उपलब्ध जल संसाधनों को यथासम्भव अधिकतम विस्तार तक समुपयोज्य संसाधनों की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। इन संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए तथा अधिकतम संरक्षण एवं न्यूनतम हानियाँ सुनिश्चित करने के लिए उपाय करके जल की उपलब्धता को बढ़ाया जाए।

3.2 जल के मामले में संसाधन आयोजना एक जल निकास बेसिन अथवा उप-बेसिन जो कि एक जल विज्ञान इकाई जैसे एक सम्पूर्ण जल निकास बेसिन अथवा उप बेसिन के लिए की जानी चाहिए। सभी विकास परियोजनाओं और प्रस्तावों को राज्यों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उस पर एक बेसिन अथवा उप बेसिन की समग्र योजना के ढाँचे के अन्तर्गत विचार किया जाए ताकि उपलब्ध विकल्पों का सर्वोत्तम संभव समूह बनाया जा सके।

3.3 एक सम्पूर्ण नदी बेसिन के समुचित विकास और प्रबन्ध के लिए उपयुक्त संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए। केवल सिंचाई सम्बन्धी जरूरतों को ही नहीं अपितु विभिन्न अन्य जल उपयोगों में भी तालमेल को देखते हुए व्यापक योजनाएँ तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष बहु विषयक

इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि अवस्थित समझौतों अथवा सम्बद्ध कानूनों के अन्तर्गत अधिकरणों के पंचाटों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों का निर्धारण किया जा सके और उनका अनुकूलतम ढंग से प्रयोग किया जा सके ।

3.4 जहाँ जल उपलब्धता हो, उन क्षेत्रों के बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के उपरान्त राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के आधार पर जल को कमी वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । इसमें एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल का स्थानान्तरण भी शामिल है ।

3.5 जल का पुनर्वर्णन स्वयं पुनर्प्रयोग जल संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग होना चाहिए ।

परियोजना आयोजना

4.1 जल संसाधन विकास परियोजनाओं को जहाँ तक सम्भव हो एक बहुप्रयोजनीय परियोजना के रूप में आयोजित स्वयं विकसित किया जाना चाहिए । पेय जल को प्रमुख आवश्यकता मान कर विचार किया जाना चाहिए । परियोजना में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन नौवहन, मत्स्य पालन और जहाँ सम्भव हो मनोरंजन का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

4.2 परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान तथा उसके उपरान्त भी जन-जीवन, बस्तियों, व्यवसायों, आर्थिक स्वयं अन्य पहलुओं पर परियोजनाओं के प्रभावों का अध्ययन परियोजना आयोजन का अनिवार्य अंग होना चाहिए ।

4.3 परियोजना के आयोजन, कार्यान्वयन और परिचालन में पर्यावरण की गुणवत्ता तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख विचारणीय विषय होना चाहिए। पर्यावरण पर यदि कोई कुप्रभाव पड़ता भी है तो उसे न्यूनतम किया जाना चाहिए और पर्याप्त प्रतिपूरक उपायों के द्वारा उसे दूर किया जाना चाहिए।

4.4 परियोजना के आयोजन, प्रतिपादन, स्वीकृति देने और कार्यान्वयन के लिए एक समेकित और बहुविधयक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसमें आवाह उपचार और प्रबन्ध पर्यावरण और पारिस्थितिक पहलुओं, प्रभावित जनता के पुनर्वास और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।

4.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों जैसे समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अथवा जन-जाति वाले क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए परियोजनाओं के अन्वेषण और प्रतिपादन के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। अन्य क्षेत्रों में भी परियोजना का आयोजन करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

4.6 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं की योजनाएं बनाते समय सुनिश्चित पेय जल प्रदाय की आवश्यकता, जल विद्युत विकास की संभावनाओं तथा यहां के भौगोलिक लक्षणों और सीधी ढालें, क्षिप्र अपवाह स्वम् मृदा- अपरदन के प्रभाव जैसे अवरोधों के संदर्भ में ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उचित उपागम पर ध्यान दिया जाना होगा। ऐसे क्षेत्रों के संबंध में परियोजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन करते समय भी इन पहलुओं

पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

4.7 अधिकतर सिंचाई परियोजनाओं में समय और लागत में वृद्धि तथा उनसे लाभों की प्राप्ति में कमी को दूर करने के लिए परियोजना तैयारी और प्रबन्ध की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर, इस समस्या पर काबू पाया जाना चाहिए । कार्यान्वयन की जा रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के साथ-साथ क्षेत्रीय अस्मानताओं को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के अनुकूलतम आबंटन द्वारा परियोजनाओं के लिए धन की कमी का निराकरण किया जाना चाहिए ।

अनुरक्षण एवं
आधुनिकीकरण

5.1 व्यापक निवेश से निर्मित संरचनाओं और प्रणालियों को भलीप्रकार और उचित रूप से अनुरक्षित किया जाना चाहिए । उन्हें हमेशा अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए । बजट में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त वार्षिक प्रावधान किए जाने चाहिए ।

5.2 संरचनाओं और प्रणालियों की नियमित रूप से परिवीक्षा की जानी चाहिए तथा उनको पुनः कार्य योग्य बनाने एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया जाना चाहिए ।

संरचनाओं की
सुरक्षा

6. भण्डारण बांध और जल सम्बद्ध संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक उपयुक्त संगठनात्मक व्यवस्था की जानी चाहिए । इस संबंध में केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों की सतत रूप से संवीक्षा की जानी चाहिए एवं समय-समय पर उन्हें अद्यतन और उनका पुनर्प्रतिपादन करते रहना चाहिए । एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत सतत रूप से निगरानी की जा सके व विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जा सकें ।

जल-संरक्षण

बाढ़ नियंत्रण

और प्रबन्धन

15. जल के सभी विभिन्न उपयोगों में समुपयोजन की दक्षता में सुधार लाया जाना चाहिए और सभी को इस बात के प्रति जागरूक किया जाए कि जल एक दुर्लभ संसाधन है। संरक्षण के संबंध में जागरूकता को शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहन और हतोत्साहन द्वारा आगे बढ़ाया जाए।

16. प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण तथा प्रबन्धन हेतु एक मास्टर प्लान होनी चाहिए। बाढ़ों के कुप्रभावों को कम करने के लिए व्यापक भूमि संरक्षण, कमान क्षेत्र उपचार, वन संरक्षण और वन क्षेत्रों में वृद्धि करने एवं रोक बांधों के निर्माण द्वारा एक मजबूत जल विभाजक प्रबन्ध को बढ़ावा दिया जाए। जहां सम्भव हो वहां बेहतर बाढ़ प्रबन्धों की सुविधा को बनाने के उद्देश्य से जल संचयन परियोजनाओं में बाढ़ के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखी जाए। बाढ़ों के कारण जल और धन की हानि वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए कठार क्षेत्रों में बस्तियों और आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के साथ-साथ कठार क्षेत्र में बस्तियों को समय रहते चेतावनी देने हेतु बाढ़ पूर्वानुमान के लिए एक व्यापक नेट-वर्क स्थापित किया जाए। इसमें शिद्द नहीं कि तट बांधों, डाइकों जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आवश्यकता बनी रहेगी। फिर भी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी एवं कठार मंडलन जैसे बाढ़ों को कम करने वाले गैर संरचनात्मक उपायों पर बल दिया जाना चाहिए ताकि बाढ़ राहत पर आवर्ति व्यय में कमी लाई जा सके।

समुद्र अथवा नदी

द्वारा भूमि कटाव

17. समुद्र अथवा नदी द्वारा भूमि कटाव चाहे वह तट-वर्ती क्षेत्र में समुद्र द्वारा होता है अथवा नदी जल द्वारा, उसे उपयुक्त लागत-प्रभावी उपाय द्वारा न्यूनतम किया जाये।

भू-जल विकास

7.1 भू-जल क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ऐसा करते समय उपलब्ध जल की गुणवत्ता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

7.2 भू-जल संसाधनों के दोहन को इस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए कि वह पुनर्भरण संभावनाओं से अधिक न हो और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया जा सके। भू-जल पुनर्भरण परियोजनाओं को विकसित एवं कार्या-

7.3 परियोजना आयोजनाचरण से ही ततही और भू-जल और उनके संयुक्त उपयोग के समेकित और समन्वित विकास की परिकल्पना की जानी चाहिए।

7.4 मीठे जल के जलमृत्तों में समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिए समुद्र तट के निकट भू-जल के अत्याधिक समुपयोजन से बचा जाए।

जल आबंधन की प्राथमिकताएं

8. प्रणालियों की आयोजना और प्रचालन में जल आबंधन की प्राथमिकताएं मोटे तौर पर निम्न प्रकार होनी चाहिए :

- पेय-जल
- सिंचाई
- जल-विद्युत
- सौवहन
- औद्योगिक एवं अन्य उपयोग

तथापि क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो उस क्षेत्र में इन प्राथमिकताओं को उपांतरित किया जा सकता है।

पेय जल

9. 1991 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त जनता के लिए पर्याप्त पेय-जल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में पेय-जल का कोई वैकल्पिक स्रोत

जल दरें

की अपनाया जाए ।

11. जल दरें इस प्रकार से निर्धारित की जाये जिससे कि इस संसाधन के उपयोगकर्ताओं को इसकी दुर्लभता के महत्व का आभास कराया जा सके तथा जल के प्रयोग में कफायत लाने के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके । ये जल दरें इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि उनसे वार्षिक अनुरक्षण और परिचालन व्यय तथा नियत लागत के कुछ अंश की भरपाई की जा सके । इस आदर्श पर एक सीमित अवधि में पहुंचने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए और साथ-साथ सिंचाई के लिए जल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए । लघु तथा सीमान्त किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सतही जल और मृ-जल की दरों को युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए ।

किसानों और स्वयंसेवी अभिकरणों की सहभागिता

12. सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में विभिन्न पहलुओं, खासकर जल वितरण और जल दरों की वसूली में किसानों की सहभागिता को क्रमिक रूप से बढ़ाने के प्रयास किए जाएं । जल उपयोग में कफायत लाने और जल प्रबन्ध में किसानों को जानकारी देने हेतु स्वयंसेवी अभिकरणों की सहायता ली जाए ।

जल गुणवत्ता

13. सतही जल और भूमि जल दोनों की ही गुणवत्ता का समय-समय पर नियमित रूप से प्रबोधन किया जाए । जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए ।

जल मंडलन

14. आर्थिक विकास और कृषि, उद्योग और शहरी विकास की गतिविधियों का आयोजन सीमित जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए । पूरे देश को जल मंडलों में विभाजित किया जाये । ऐसे मंडलों के अनुसार ही आर्थिक गतिविधियों को विनियमित और निर्देशित किया जाए ।

जल-संरक्षण

15. जल के सभी विभिन्न उपयोगों में समुपयोजन की दक्षता में सुधार लाया जाना चाहिए और सभी को इस बात के प्रति जागरूक किया जाए कि जल एक दुर्लभ संसाधन है। संरक्षण के संबंध में जागरूकता को शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहन और हतोत्साहन द्वारा आगे बढ़ाया जाए।

बाढ़ नियंत्रण

और प्रबन्धन

16. प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण तथा प्रबन्धन हेतु एक मास्टर प्लान होनी चाहिए। बाढ़ों के कुप्रभावों को कम करने के लिए व्यापक भूमि संरक्षण, कमान क्षेत्र उपचार, वन संरक्षण और वन क्षेत्रों में वृद्धि करने एवं रोक बांधों के निर्माण द्वारा एक मजबूत जल विभाजक प्रबन्ध को बढ़ावा दिया जाए। जहाँ सम्भव हो वहाँ बेहतर बाढ़ प्रबन्धों की सुविधा को बनाने के उद्देश्यसे जल संचयन परियोजनाओं में बाढ़ के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखी जाए। बाढ़ों के कारण जल और धन की होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए कठार क्षेत्रों में बस्तियों और आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के साथ-साथ कठार क्षेत्र में बस्तियों को समय रहते चेतावनी देने हेतु बाढ़ पूर्वानुमान के लिए एक व्यापक नेट-वर्क स्थापित किया जाए। इसमें सदेह नहीं कि तट बांधों, डाइकों जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आवश्यकता बनी रहेगी। फिर भी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी एवं कठार मंडलन जैसे बाढ़ों को कम करने वाले गैर संरचनात्मक उपायों पर बल दिया जाना चाहिए ताकि बाढ़ राहत पर आवर्ति व्यय में कमी लाई जा सके।

समुद्र अथवा नदी

द्वारा भूमि कटाव

17. समुद्र अथवा नदी द्वारा भूमि कटाव चाहे वह तट-वर्ती क्षेत्र में समुद्र द्वारा होता है अथवा नदी जल द्वारा, उसे उपयुक्त लागत-प्रभावी उपाय द्वारा न्यूनतम किया जाये।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी सभी अपेक्षित उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि तटवर्ती पट्टियों पर भूमि के अंधाधुंध अधिभोग तथा दोहन को हतोत्साहित किया जा सके तथा समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति को विनियमित किया जा सके ।

सूखा प्रबन्धन

18.1 सूखा प्रवण क्षेत्रों में सूखा आर्द्रता संरक्षण उपाय, जल एकत्रण पद्धतियों, वाष्पीकरण कीहानियों को न्यूनतम करने भू-जल क्षमता के विकास और जहां व्यावहारिक हो और उचित हो वहां अधिक जल वाले क्षेत्रों को जल की कमी वाले क्षेत्रों में सतही जल के स्थानान्तरण द्वारा सूखा से सम्बद्ध समस्याओं को कम प्रभावी बनाने हेतु उपाय किए जाएं । चारागाह विकास, वन रोपण अथवा विकास के ऐसे अन्य तरीकों को बढ़ावा दिया जाए जिनके लिए जल की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है । जल संसाधन विकास संबंधी परियोजनाओं का आयोजन करते समय सूखा प्रवण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये ।

18.2 सूखा पीड़ितों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाथ में लिए गए राहत कार्य अधिमानतः सूखा सह्यकरण हेतु किए जाने चाहिए ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

19. देश के जल संसाधनों के प्रभावी एवं किफायती प्रबंधन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में, अनुसंधान प्रयत्नों को तेज करके अनेक दिशाओं में ज्ञान-सीमाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- जल मीसम विज्ञान
- जल संसाधनों का मूल्यांकन
- बर्फ तथा झील जल विज्ञान
- भू-जल विज्ञान एवं पुनर्भरण

- लवणता प्रवेश निवारण
- जल-एकत्रण
- वाष्पन एवं स्पंदन हानियाँ
- जल संसाधन परियोजनाओं के लिए कृषायुगी अभिकल्प
- फसलें तथा फसलों की प्रणाली
- जलाशय अवसादन
- जल से सम्बद्ध संरचनाओं की सुरक्षा एवं उन्हें दीर्घकालीन बनाना
- नदी आकृति और द्रव विज्ञान
- मृदा और सामग्री अनुसंधान
- बेहतर जल प्रबन्ध पद्धतियों और प्रचालन प्रौद्योगिकी में सुधार
- पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग
- समुद्री जल संसाधनों का प्रयोग

प्रशिक्षण

20. मानकीकृत प्रशिक्षण के लिए एक संदर्श योजना को जल संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग माना जाये। इस प्रशिक्षण में सूचना प्रणाली क्षेत्रवार आयोजना, परियोजना आयोजना और प्रतिपादन, परियोजना प्रबन्ध, परियोजनाओं का परिचालन और उनकी भौतिक संरचनाओं एवं प्रणालियों तथा जल-वितरण प्रणाली के प्रबन्ध शामिल किए जाएं। इस प्रशिक्षण का विस्तार इन गतिविधियों में लगे हुए सभी कार्मिकों तथा किसानों के सभी वर्गों को दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

21. मानव और पशुओं के लिए वातावरण संतुलन बनाये रखने एवं सभी प्रकार की आर्थिक एवं विकास गतिविधियों के लिए जल की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं तथा इसकी बढ़ती

हुई दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए इस संसाधन की आयोजना और प्रबन्धन तथा इसका अनुकूलतम्, किफायती और न्याय-संगत उपयोग एक तात्कालिक महत्व का विषय बन गया है। राष्ट्रीय जल नीति की सफलता राष्ट्रीय मतेक्य के तैयार करने और उसे कायम रखने एवं इसमें अंतर्निहित सिद्धांतों तथा उद्देश्यों के प्रति बचनबद्धता पर पूर्ण रूप से निर्भर करेगी।